[2018] 7 एस. सी. आर. 1027

मोहिंदर सिंह (मृत) एल. आर. के माध्यम से।

वी.

परमजीत सिंह और हमारा।

(2017 की सिविल अपील संख्या 10222)

मार्च 28,2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई और ए. एम. खानविलकर, जे.]

पंजाब सीमा (प्रथा) अधिनियम, 1920-अनुसूची और एस. एस. का Art.2 (बी)। 5 और 8-अलगाव से संबंधित मुकदमों की सीमा

पैतृक अचल संपत्ति का-प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रत्यर्थियों के पूर्ववर्ती के पक्ष में एक 'यू' द्वारा उपहार विलेख-मूल अपीलार्थी द्वारा यह घोषणा करने के लिए दायर किया गया कि उपहार विलेख शून्य था-उस समझौते के संदर्भ में मुकदमा निपटाया गया जिसमें मूल अपीलार्थी को 'यू' की मृत्यु के बाद विचाराधीन भूमि दी जानी थी-मूल अपीलार्थी द्वारा दायर निष्पादन याचिकाएं, खारिज कर दी गईं-अंततः, मूल अपीलार्थी ने प्रत्यर्थियों के कब्जे के लिए नया मुकदमा दायर किया कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित था-1920 के अधिनियम के Art.2 (बी) के दूसरे भाग पर भरोसा करने वाले अपीलार्थियों द्वारा लड़ा गया। 14 1963 के अधिनियम-आयोजितः Art.2 (बी) के दूसरे भाग में कहा गया है कि जिस समय से कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा अवधि शुरू होगी, वह तारीख होगी जिस दिन "घोषणात्मक डिक्री प्राप्त की जाती है"-निष्पादन में

कार्यवाही, केवल न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन घोषणात्मक निर्णय के आधार पर एक डिक्री तैयार की जानी चाहिए जिसे तब निष्पादित किया जाता है-वर्तमान मामले में, भले ही

घोषणात्मक निर्णय 20 अगस्त, 1963 को पिछले मुकदमे में घोषित किया गया था, दर्ज किए गए समझौते के आधार पर, घोषणा को केवल 'यू' डिक्री की मृत्यु के बाद ही प्रभावी किया जा सकता था क्योंकि एक सशर्त डिक्री 19 अगस्त, 1972 को डिक्री शीट तैयार करने के बाद ही लागू की जा सकती थी।

इसके बाद 11 जून, 1974 को दायर किया गया अधिकार इस प्रकार था - 1920 अधिनियम की अनुसूची के Art.2 (बी) के संदर्भ में सीमा की निर्धारित अवधि 1963 के अधिनियम की धारा 14 वर्तमान मामले और धाराओं में निर्दिष्ट परीक्षणों में भी आकर्षित होती है। 14 वादी को उस अवधि को बाहर करने के लिए अनुग्रह दिखाने के लिए संतुष्ट हैं जिसके दौरान वादी ने कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के लिए सीमा की अवधि की गणना के लिए निष्पादन कार्यवाही का पीछा किया-विचारण न्यायालय और

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलीय न्यायालय का मूल अपीलार्थी के पक्ष में वाद का आदेश देने का अधिकार-सीमा अधिनियम, 1963-एस. एस. द्वारा प्रतिबंधित किए गए वाद के संबंध में आपत्ति को खारिज करते हुए। 14 , 29 (2) और Art.136-सीमा अधिनियम, 1908-ss. 4 25 तक।

शब्द और वाक्यांश 'प्राप्त'-जिसका अर्थ अनुसूची के पंजाब सीमा (प्रथा) अधिनियम, 1920-Art.2 (b) के संदर्भ में है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 पंजाब सीमा (प्रथा) अधिनियम, 1920 को पैतृक अचल संपत्ति के अलगाव और उस क्षेत्र में प्रथा का पालन करने वाले व्यक्तियों द्वारा उत्तराधिकारियों की नियुक्तियों से संबंधित मुकदमों की सीमा को नियंत्रित करने वाले कानून को संशोधित और समेकित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिस पर अधिनियम लागू होगा। 1920 के अधिनियम की धारा 8 में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति यह घोषणा करते हुए डिक्री प्राप्त करता है कि पैतृक अचल संपत्ति का अलगाव या नियुक्ति एक उत्तराधिकारी प्रथा के अनुसार उस पर बाध्यकारी नहीं है, डिक्री अलगाव या उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए महाभियोग का हकदार सभी व्यक्तियों के लाभ के लिए सुनिश्चित करेगी। इस तरह के घोषणात्मक मुकदमे के लिए, अनुसूची में सीमा प्रदान की गई है। अनुसूची के अनुच्छेद 2 में यह भी परिकल्पना की गई है कि पैतृक अचल संपत्ति के कब्जे के लिए एक मुकदमे के लिए सीमा की अवधि जो

अलगाव, इस आधार पर कि अलगाव वादी पर प्रथा के अनुसार बाध्यकारी नहीं है, अन्य बातों के साथ-साथ, घोषणात्मक डिक्री प्राप्त होने की तारीख से तीन साल के भीतर। वर्तमान मामले में, मूल अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों के पूर्ववर्ती के बीच समझौते के आधार पर 20 अगस्त, 1963 को घोषणात्मक डिक्री पारित की गई थी। हालांकि, यह एक सशर्त डिक्री होने के कारण, कब्जे के लिए मुकदमा करने का अधिकार अर्जित नहीं होता

'यू' की मृत्यु तक जो केवल 14 जनवरी, 1971 को हुई। [पारस 13,14] [1040-डी-एफ; 1041-एफ, जी]

1.2 अभिव्यक्ति "घोषणात्मक डिक्री प्राप्त की जाती है" अपने तह में ड्राइंग या तैयारी की घटना को ले जाएगी डिक्री। विशेष रूप से, निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने वादी द्वारा लिए गए इस रुख को स्वीकार कर लिया था कि समझौता डिक्री 19 अगस्त, 1972 को तैयार या तैयार की गई थी। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी उस निष्कर्ष को उलट नहीं दिया था।

[पैरा 15] [1042-सी] मोहिंदर सिंह (मृत) एल. आर. के माध्यम से। वी. परमजीत सिंह और हमारा।

1.3 अभिव्यक्ति "प्राप्त करें", जैसा कि आम बोलचाल में समझा जाता है और संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में परिभाषित किया गया है,

" अर्जित करें, सुरक्षित करें, एक को दे दिया है। यह भी हो सकता है

मतलब

-

डिक्री की एक प्रति प्राप्त करना शामिल है। केंद्रीय कानून में, "डिक्री की एक प्रति प्राप्त करने के लिए" का प्रावधान करके अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया जाता है। इसलिए, "प्राप्त" अभिव्यक्ति, कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के लिए गणना की सीमा अवधि के संदर्भ में, डिक्री (डिक्री-शीट) की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए, जिसके आधार पर, कब्जे के लिए मुकदमा शुरू किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वह तिथि जिस पर डिक्री है

यह सीमा अवधि शुरू करने के लिए प्रासंगिक तिथि होगी। जैसा कि निष्पादन कार्यवाही के मामले में, केवल न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन ऐसे घोषणात्मक निर्णय के आधार पर एक डिक्री तैयार की जानी चाहिए जिसे तब निष्पादित किया जाता है। उसी सादृश्य को लागू करते हुए, यदि कब्जे के लिए कोई मुकदमा एक घोषणात्मक डिक्री पर आधारित है, तो यह सिविल कोर्ट के एक घोषणात्मक निर्णय के आधार पर एक तैयार डिक्री तैयार करने और डिक्री द्वारा प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़ सकता है। धारक। इसलिए, "घोषणात्मक डिक्री प्राप्त की जाती है" अभिव्यक्ति का महत्व है। यदि विधायिका इसे अलग तरीके से प्रदान करने का इरादा रखती है, तो वह इस प्रावधान को "उस तारीख के रूप में जोड़ सकती थी जिस पर घोषणात्मक निर्णय पारित किया जाता है"। द.

हालाँकि, 1920 के अधिनियम को लागू करने में विधायिका ने जानबूझकर "घोषणात्मक डिक्री प्राप्त की जाती है" अभिव्यक्ति का उपयोग किया, जो

स्वाभाविक रूप से उस तारीख को शामिल किया जाता है जिस पर एक औपचारिक डिक्री तैयार की जाती है या तैयार की जाती है, न कि केवल उस तारीख को जिस पर न्यायालय द्वारा एक घोषणात्मक निर्णय पारित किया जाता है। किसी भी अन्य दृष्टिकोण को लेना "घोषणात्मक डिक्री प्राप्त की जाती है" अभिव्यक्ति को फिर से लिखना और विधायी इरादे के लिए हिंसा करना होगा। इसके अलावा,

अनुच्छेद 2 (बी) में अभिव्यक्ति "प्राप्त" अभिव्यक्ति "है" द्वारा उपसर्गित है; और आगे यह अभिव्यक्ति "जो भी बाद में हो" के साथ अनुसरण करता है। यह भी इस स्थिति को मजबूत करेगा कि जिस तारीख को घोषणात्मक डिक्री तैयार की जाती है, वह कब्जे के लिए मुकदमा शुरू करने के लिए सीमा की अवधि को प्रज्वलित कर सकती है, न कि पिछले मुकदमे (घोषणा सरलीकरणकर्ता के लिए) में न्यायालय द्वारा दिया गया केवल घोषणात्मक निर्णय। किसी भी अन्य दृष्टिकोण को लेने से अनुच्छेद 2 (बी) के अंतिम भाग को "जो भी बाद में हो" के लिए निरर्थक और अनुचित बना दिया जाएगा। [पैरा 16,17] [1042-एफ-जी; 1043-ए; 1043-बी-ई] [2018] 7 एस. सी. आर.

1.4 जैसा कि वर्तमान मामले में, भले ही न्यायालय द्वारा पिछले मुकदमे में घोषणात्मक निर्णय सुनाया गया था

20 अगस्त, 1963 में समझौते के आधार पर उस घोषणा को 'यू' की मृत्यु के बाद ही प्रभावी किया जा सकता था। पारित डिक्री उसके बाद ही लागू की जा सकती थी। डिक्री शीट

19 अगस्त, 1972 को तैयार किया गया और उसके बाद तीन साल बाद 11 जून, 1974 को दायर किया गया अधिकार का मुकदमा इस प्रकार 1920 के अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 2 (बी) के संदर्भ में सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर था। [पैरा 20] [1045-सी, डी] 1.5 वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति निश्चित रूप से 1963 के अधिनियम की धारा 14 में निर्दिष्ट परीक्षणों को संतुष्ट करेगी, ताकि वादी को उस अवधि को बाहर करने के लिए अनुग्रह दिखाया जा सके जिसके दौरान वादी ने 11 जून, 1974 को कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा की अवधि की गणना के लिए निष्पादन कार्यवाही का पीछा किया था। सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 का विस्तार केवल अधिकार क्षेत्र के मुद्दे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समान प्रकृति के अन्य कारण भी हैं। 1963 के अधिनियम की धारा 14 द्वारा जो कहा गया है, वह अधिकार क्षेत्र या समान प्रकृति के अन्य कारणों के बिना न्यायालय में प्रामाणिक रूप से कार्यवाही करने के समय का बहिष्कार है, जिसके लिए संबंधित न्यायालय याचिका पर विचार करने में असमर्थ है। [पारस 22,23] [1047-एफ; 1048-ए]

1.6 1920 के अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट है और यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित करता है कि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट वाद -

उक्त अधिनियम सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 4 से 25 (समावेशी) में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा। 1963 के अधिनियम की धारा 14 को 1920 के अधिनियम की धारा 5 और धारा 5 के आलोक में वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति में आकर्षित किया जाएगा।

29 (2) 1963 के अधिनियम के इस तथ्य के साथ कि 1920 के अधिनियम में धारा के अनुप्रयोग को बाहर करने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है 14 1963 के अधिनियम का। विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय थे

मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित किए जाने के संबंध में आपत्ति को अस्वीकार करके अपीलार्थियों के पूर्ववर्ती के पक्ष में मुकदमे को डिक्री करने का अधिकार। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णयों को पलटने में स्पष्ट त्रुटि की। [पैरा 24,26 और 28] [1048-सी; 1049-ए; 1049-डी, ई]

लाला बालमुकुंड (मृत) एल. आर. के माध्यम से। v. लाजवंती और अन्य। (1975) 1 एससीसी 725: [1975] एससीआर 44; समेकित

इंजीनियरिंग उद्यम बनाम।

प्रधान सचिव, मोहिंदर सिंह (मृत) एल. आर. वी. परमजीत सिंह और हमारा।

सिंचाई विभाग और अन्य। (2008) 7 एससीसी 169:

[2008] 5 एस. सी. आर. 1108; भारत संघ और अन्य। वी. पश्चिम

कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड और अन्र। (2004) 3 एससीसी 458: [2004] 2 एस. सी. आर. 642-निर्भर।

डब्ल्यू. बी. आवश्यक वस्तु आपूर्ति निगम। v.Swadesh

एग्रो फार्मिंग एंड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और एन. आर. (1999) 8

एस. सी. सी. 325: [1999] 2 पूरक। एससीआर 399; सीएसटी बनाम। पार्सन

उपकरण और पौधे (1975) 4 एस. सी. सी. 22-संदर्भित।

मामला कानून

संदर्भ

[1975] एससीआर 44

उस पर भरोसा करें

पैरा 18

[1999] 2 पूरक। एस. सी. आर. 399 संदर्भित

पैरा 19

[2004] 2 एससीआर 642

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

(1975) 4 एससीसी 22

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

उस पर भरोसा करें

[2008] 5 एससीआर 1108

पैरा

27

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.10222

2017 से।

पंजाब उच्च न्यायालय के दिनांकित 25.04.2012 आदेश से

और 2012 के आर. एस. ए. No.1446 में चंडीगढ़ में हरियाणा।

महाबीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री प्रीति सिंह, राकेश दहिया, गगन

दीप शर्मा, सुश्री स्वाति जिंदल, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

मनोज स्वरूप, देवव्रत, साहेब रहमान, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे. 1. एकमात्र सवाल यह है कि

इस अपील में विचार के लिए उभरता हैः क्या धारा 14 सीमा अधिनियम, 1963 (संक्षेप में "1963 अधिनियम") का पंजाब सीमा (प्रथा) अधिनियम, 1920 (संक्षेप में "1920 अधिनियम") में निहित प्रावधानों को देखते हुए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यदि ऐसा है, तो क्या यह इस मामले के तथ्यों में लागू होगा?

2. इस मामले के प्रासंगिक निर्विवाद तथ्यों को इस प्रकार चित्रित किया जा सकता हैः

इसके अंतर्गतः

के संबंध में एक उपहार विलेख को एक उज्जागर सिंह द्वारा निष्पादित किया गया था

भूमि, जिसमें भूमि के दो टुकड़े शामिल थे, 7 कनाल 17 मार्लास [2018] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ग्राम पंडोरी, तहसील बटाला की राजस्व संपदा में स्थित खसरा No.46/16; और ग्राम घुमान, तहसील बटाला, जिला अमृतसर (पंजाब) की राजस्व संपदा में स्थित खसरा Nos.25/4/5, No.25/4/1,25/3/3 और <आई. डी. 4 वाले 11 कनाल, सुरेंद्र सिंह (उत्तरदाताओं के पूर्ववर्ती) के बेटे रूरा सिंह को 6 मार्च, 1963 के उपहार विलेख द्वारा दिए गए। उक्त भूमि उज्जागर सिंह के हाथों में पैतृक भूमि थी जिसमें मोहिंदर सिंह (अपीलार्थियों के पूर्ववर्ती) और अन्य सह-पक्षकार थे। परिणामस्वरूप, मूल अपीलार्थी मोहिंदर सिंह

उप न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, बटाला के समक्ष यह घोषणा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया गया कि उपहार विलेख अमान्य था, जो 1963 का सूट No.367 था। पेन्डेंसी के दौरान

उक्त मुकदमे में, रुरा सिंह (प्रत्यर्थियों के पूर्ववर्ती) और मोहिंदर सिंह (अपीलार्थियों के पूर्ववर्ती) के बीच एक समझौता हुआ था। पक्षकारों ने निचली अदालत के समक्ष बयान दिया कि समझौते के अनुसार मोहिंदर सिंह को जमीन दी जानी थी

इसमें पूरे क्षेत्र से बाहर खसरा No.46/16 गाँव पंडोरी, तहसील बटाला में स्थित है और 26/4/2 4,26/3/3 मिन ईस्ट, 26/4/1,26/3/3 मिन वेस्ट ऑफ़ विलेज घुमन के उजागर सिंह की मृत्यु के बाद और मोहिंदर

सिंह ने अपना घर भी छोड़ दिया। रुरा सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष एक बयान दिया गया था जो इस प्रकार हैः

" उस आदेश में कहा गया है कि खसरा के संबंध में स्वामित्व की घोषणा के लिए

नहीं। 46/16 पंडोरी में स्थित, No.26/4/2/4,26/3/3 न्यूनतम। पूरब की ओर। 26 / 4/1 , 26/3/3 घुमन में स्थित मिन वेस्ट को इसके पक्ष में पारित किया जाए

वादी। शेष मुकदमा खारिज किया जाए। पार्टियां वहन करेंगी

अपने खर्च "।

3. उक्त व्यवस्था के आधार पर, न्यायालय ने 20 अगस्त, 1963 को निम्नलिखित में समझौते के आधार पर मुकदमे का निपटारा कियाः

शर्तेंः

" पक्षों के उपरोक्त बयानों को ध्यान में रखते हुए, अनुरोध के अनुसार मुकदमा

क्योंकि इसके साथ केवल गाँव पंडोरी की खसरा संख्या 46/16 और गाँव घुमन के 26/4/2 4,26/3/3 न्यूनतम पूर्व, 26/4/1,26/3/3 न्यूनतम पश्चिम के संबंध में प्रतिवादी नं. 2 . सूट।

प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ खारिज कर दिया जाएगा। पार्टियां करेंगी

वे अपना खर्च खुद वहन करें।

4. इसके बाद मोहिंदर सिंह ने 23 दिसंबर, 1964 को 1964 की फांसी की याचिका No.430 निकाली। 7 अगस्त, 1965 के आदेश के अनुसार निष्पादन न्यायालय द्वारा उक्त निष्पादन याचिका को समय से पहले खारिज कर दिया गया था।

जो इस प्रकार हैः

मोहिंदर सिंह (मृत) एल. आर. के माध्यम से। वी. परमजीत सिंह और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" आदेश की प्रतिलिपिः डी. एच. वकील के निर्णय के अनुसार

निष्पादन को पूर्व-परिपक्व के रूप में खारिज कर दिया जाता है और रिकॉर्ड भेजा जाता है

संतुष्ट पर कमरा "।

5. उक्त उज्जागर सिंह का निधन 14 जनवरी, 1971 को हुआ था।

मोहिंदर सिंह ने 18 फरवरी, 1971 को दूसरी फांसी की याचिका दायर की। उन्होंने डिक्री शीट के साथ मूल फाइल को बुलाने के लिए एक आवेदन भी लिया। यह आवेदन 23 अगस्त, 1971 को निष्पादन न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। इसके बाद यह पता चला कि डिक्री तैयार की गई थी और डिक्री शीट 19 अगस्त, 1972 को तैयार की गई थी। हालाँकि, मोहिंदर सिंह द्वारा दायर फांसी की याचिका 2 फरवरी, 1973 को चूक के लिए खारिज कर दी गई। उसी दिन, मोहिंदर सिंह ने तीसरी फांसी की याचिका दायर की, जिसे 2 फरवरी को खारिज कर दिया गया।

1974 इस आधार पर कि यह बनाए रखने योग्य नहीं था। निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन में पारित आदेश का प्रासंगिक भाग

आवेदन No.11/1973 इस प्रकार हैः

" 3. निम्नलिखित मुद्दा तैयार किया गया थाः

1) क्या डिक्री निष्पादन योग्य है? O.P.D.H।

4. डिक्री शीट के अवलोकन से जिसकी प्रति एक्स है। डी. एच. 1. यह बहुत स्पष्ट है कि वह डिक्री जिसकी मांग की गई है

निष्पादित एक घोषणात्मक है और यह लाभ सुनिश्चित करता है विक्रेता की मृत्यु के बाद डिक्री धारक। डिक्री धारक

घोषणात्मक डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती है और अधिकार विचाराधीन भूमि डिक्री को नहीं दी जा सकती है

उसी के निष्पादन में धारक। इस मुद्दे के खिलाफ निर्णय लिया गया है

डिक्री धारक।

मेरे उपरोक्त निष्कर्ष को देखते हुए आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

फाइल को अभिलेख कक्ष में भेज दिया जाए।

(जोर दिया गया)

6. इस क्रम में टिप्पणियों से संकेत लेते हुए और नहीं के साथ छोड़ दिया

1963 के मुकदमे में पारित डिक्री में निर्दिष्ट भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए अन्य विकल्प, मोहिंदर सिंह ने 11 जून, 1974 को सिविल जज, जूनियर डिवीजन, बटाला के न्यायालय में एक नया मुकदमा दायर किया, जो सी. एस. No.173/1974 था। उन्होंने जोर देकर कहा कि घोषणात्मक फरमान तैयार किया गया था

19 अगस्त, 1972 को और निष्पादन [2018] 7 एस. सी. आर. द्वारा पारित आदेश के कारण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2 फरवरी, 1974 को अदालत में, उन्हें 19 अगस्त, 1972 को हुई कार्रवाई के कारण के आधार पर और प्रत्यर्थियों (प्रतिवादियों) द्वारा उन्हें मुकदमा देने से इनकार करने के कारण कब्जे के लिए मुकदमा दायर करना पड़ा। प्रत्यर्थियों ने लिखित बयान दायर किया जिसमें उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि डिक्री 19 अगस्त, 1972 को तैयार की गई थी, लेकिन जोर देकर कहा कि वर्तमान मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित था क्योंकि यह मुकदमा उज्जागर सिंह की मृत्यु की तारीख से 3 साल के अंतराल के बाद दायर किया गया था। उसमें, 14 जनवरी, 1971 को उज्जागर सिंह की मृत्यु हो गई, जबकि मुकदमा 11 जून, 1974 को दायर किया गया है। इसके अलावा, 19 अगस्त, 1972 को डिक्री तैयार करने का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि डिक्री पिछले मुकदमे में 20 अगस्त, 1963 को पारित की गई थी। जिस तारीख को पिछले मुकदमे का फैसला किया गया था, वह प्रासंगिक तारीख होगी। हालाँकि, बाद में उत्तरदाताओं (प्रतिवादियों) ने अतिरिक्त लिखित बयान दायर किए ताकि पहले की गई स्वीकारोक्ति को वापस लिया जा सके कि डिक्री शीट तैयार की गई थी

19 अगस्त, 1972 को।

7. सिविल जज, जूनियर डिवीजन, बटाला ने 20 मई, 2008 के अपने फैसले के माध्यम से प्रतिवादियों द्वारा मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित किए जाने के संबंध में की गई आपत्ति को नकार दिया। निचली अदालत के फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

जिस समय से सीमा की अवधि शुरू होनी है, वह तारीख है जिस दिन मुकदमा दायर करने का अधिकार प्राप्त होता है या वह तारीख जिस पर घोषणात्मक डिक्री प्राप्त की जाती है, जो भी बाद में हो। यह प्रतिवादियों का मामला है कि उज्जागर सिंह की मृत्यु 14.01.1971 पर हुई थी, उज्जागर सिंह की मृत्यु की प्रविष्टि को भी Ex.D1 के रूप में रिकॉर्ड में रखा गया है और सीमा की अवधि की गणना 14.01.1971 से की जानी है, जब उज्जागर सिंह की मृत्यु पर वादी पर मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है और वर्तमान मुकदमा तीन साल की अवधि के भीतर नहीं है क्योंकि मुकदमा 11.06.1974 पर दायर किया गया है। हालाँकि पंजाब सीमा (सीमा शुल्क) अधिनियम 1920 के अनुच्छेद 2 (बी) में उस अवधि का प्रावधान है। मुक़दमा
दायर करने के लिए तीन साल का समय दिया जाना है।

मुकदमा दायर करने का अधिकार अर्जित होने की तारीख से या घोषणात्मक डिक्री प्राप्त होने की तारीख से, जो भी ओ. एच. आई. एन. डी. एच. (डी. ई. ए. डी.) एल. आर. के माध्यम से हो, इसका पता लगाया जाता है।

वी. परमजीत सिंह और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

बाद में है। वादी द्वारा यह दावा किया जाता है कि डिक्री शीट 19.08.1972 पर तैयार की गई थी, जो तथ्य द्वारा स्वीकार किया जाता है

मूल लिखित बयान दाखिल करते समय प्रतिवादी। हालाँकि, प्रतिवादियों के वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि 1971 के निष्पादन आवेदन संख्या 32, दिनांक 19.8.1972 में आदेश, जिस पर वादी द्वारा डिक्री तैयार करने का आरोप लगाया गया है, वास्तव में पक्षों की गैर-उपस्थिति के कारण उक्त निष्पादन आवेदन को खारिज करने के संबंध में है। मेरी यह सुविचारित राय है कि केवल इस आधार पर कि उक्त आदेश दिनांकित है

19.08.1972 निष्पादन की बर्खास्तगी से संबंधित यह नहीं कहा जा सकता है कि इस अवधि के दौरान डिक्री शीट तैयार नहीं की गई थी।

उक्त निष्पादन की कार्यवाहियाँ। यह पहले ही माना जा चुका है कि डिक्री शीट इस दौरान तैयार की गई थी

1971 का सं. 32 वाला निष्पादन। भले ही यह माना जाता है कि डिक्री शीट दिनांक 29.07.1972 पर तैयार की गई थी और 19.08.1972 पर नहीं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, फिर भी वर्तमान मुकदमा सीमा की अवधि यानी पंजाब सीमा (सीमा शुल्क) अधिनियम 1920 के अनुच्छेद 2 (बी) के अनुसार 3 साल के भीतर है। 14. प्रतिवादियों के वकील द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि प्रतिकृति दायर करते समय वादी द्वारा पहले से ही भागे गए वाद से ली गई असंगत दलीलें और वादी द्वारा दायर प्रतिकृति को ध्यान में रखा जा सकता है। उनके तर्क के समर्थन में,

प्रतिवादियों के वकील ने 2001 (3) दीवानी अदालत के मामलों 565 (राजस्थान) गुरजंत सिंह बनाम कृष्ण चंदर और अन्य पर भरोसा किया है। लेकिन मेरा विचार है कि वास्तव में प्रतिवादियों ने स्वयं मूल लिखित बयान से संशोधित लिखित बयान दायर करके असंगत दलीलें ली हैं। संशोधित लिखित बयान में प्रतिवादियों द्वारा यह दावा किया गया है कि 19.08.1972 पर कोई डिक्री शीट तैयार नहीं की गई थी और 14.06.1963 के सिविल सूट नंबर 367 का डिक्री शीट 20.8.1963 पर ही पारित किया गया है। वादी ने केवल दलीलों का विरोध किया है

प्रतिकृति दाखिल करके लिखित कथन में संशोधन किया गया और तदनुसार

यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी ने प्रतिकृति दाखिल करते समय अपनी शिकायत में पहले से ही ली गई दलीलों से असंगत दलीलें ली हैं।

15. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे संख्या 1 का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है। वादी का मुकदमा भी [2018] 7 एस. सी. आर. के भीतर आयोजित किया जाता है।

सीमा और निर्गम संख्या 2 की अवधि भी इसके पक्ष में तय की जाती है वादी और प्रतिवादियों के विरुद्ध।

(जोर दिया गया)

8. पीड़ित, उत्तरदाताओं (प्रतिवादियों) ने पहली अपील दायर की

जिला न्यायालय 2008 की सिविल अपील No.373 है (12 जून,

जिसकी सुनवाई अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुरदासपुर और

2 फरवरी, 2012 को खारिज कर दिया गया। जिला न्यायालय ने वाद पर रोक लगाने के मुद्दे पर प्रत्यर्थियों के तर्क को खारिज कर दिया

यह, इस प्रकार अवलोकन करके:

" ..... लेकिन अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि

डिक्री शीट किसी भी समय तैयार की जा सकती है लेकिन यह वापस संबंधित है

निर्णय की तारीख। हालांकि यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि

डिक्री फैसले का अनुसरण करती है, लेकिन तत्काल मामले में कोई नहीं है

कि जब उसने उपहार विलेख को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया जो समझौता और बयानों के आधार पर निर्णय लिया गया था

20.08.1963 पर पक्षकारों ने और उसके बाद उन्होंने एक आवेदन दायर किया

उसी के निष्पादन के लिए जिसमें आपत्तियाँ उठाई गई थीं

वकील और फांसी के माध्यम से रूरा को खारिज कर दिया गया था

समय से पहले और वर्ष 1971 में उज्जागर सिंह की मृत्यु के बाद

उन्होंने फिर से एक लागू निष्पादन पेश किया जिसमें नया डिक्री

पत्रक तैयार करने का आदेश दिया गया था जो अंततः तैयार किया गया था पक्षों की उपस्थिति में और उन कार्यवाहियों के दौरान नहीं

डिक्री शीट की प्रति जिसे अब विद्वान द्वारा संदर्भित किया गया है

अपीलार्थियों के वकील ने फाइल में न तो ऐसी कोई आपत्ति रखी है और न ही

यह उठाया गया है कि डिक्री शीट पहले ही तैयार की जा चुकी है और

इससे भी अधिक, डिक्री शीट को उपस्थिति में तैयार करने का आदेश दिया गया था

दोनों पक्षों से। बाद में दाखिल करने पर फांसी को खारिज कर दिया गया

विद्वान उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, बटाला द्वारा अपीलार्थियों द्वारा आपत्तियाँ

इस अवलोकन के साथ कि यह डिक्री के लाभ के लिए सुनिश्चित करता है विक्रेता की मृत्यु के बाद धारक और अंततः वही था

02.02.1974 पर खारिज करने का आदेश दिया गया और यदि कोई गणना करता है

डिक्री तैयार करने के दिन से सीमा की अवधि अर्थात

वर्ष 1972 क्योंकि वह दिन जब निष्पादन आवेदन श्री ए. एस. रामपाल की अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है, तत्कालीन उप

न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, बटाला, तब प्रत्यर्थी के मुकदमे का अवलोकन करते हुए

नहीं। 1 यह निश्चित रूप से सीमा के भीतर है। ओहिंडर सिंह (मृत) एल. आर. के माध्यम से।

वी. परमजीत सिंह और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

9. उत्तरदाताओं ने तब इससे पहले दूसरी अपील को प्राथमिकता दी

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का न्यायालय, नियमित रूप से दूसरे स्थान पर है।

2012 (ओ एंड एम) का अल No.166, जिसे विद्वानों द्वारा अनुमति दी गई है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 25 अप्रैल, 2012 के फैसले के माध्यम से।

उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में प्रत्यर्थियों के तर्क को स्वीकार कर लियाः

5 :

" मैंने उपरोक्त तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। यह है।

निर्विवाद है कि पहले के मुकदमे का निर्णय के आधार पर किया गया था

20.08.1963 दिनांकित निर्णय के माध्यम से समझौता। फैसलों से

निम्नलिखित न्यायालयों में, यह प्रतीत होता है कि उक्त वाद में औपचारिक डिक्री

तुरंत नहीं खींचा गया था लेकिन 19.08.1972 पर खींचा गया था जब

वादी उसी के लिए आगे बढ़ा क्योंकि निष्पादन की मांग करते हुए

उक्त डिक्री, वादी को पता चला कि औपचारिक डिक्री नहीं थी खींचा गया। हालांकि, 19.08.1972 पर औपचारिक आदेश जारी किया गया

समझौता निर्णय दिनांक 20.08.1963 के आधार पर

निर्णय की तारीख यानी 20.8.1963 से संबंधित होगा।

यह नहीं कहा जा सकता है कि सीमा अवधि 19.08.1972 पर शुरू हुई थी। इसके विपरीत, पहले का घोषणात्मक आदेश पारित किया गया था

निर्णय दिनांक 20.08.1963 और इसलिए, सीमा अवधि

तत्काल मामले में मृत्यु पर 14.01.1971 पर शुरू हुआ उज्जागर सिंह। नतीजतन, 11.06.1974 पर मुकदमा दायर किया गया

यानी तीन साल की सीमा अवधि समाप्त होने के बाद स्पष्ट रूप से

सीमा द्वारा प्रतिबंधित। निम्नलिखित न्यायालयों का पता लगाना

इसके विपरीत स्पष्ट रूप से विकृत और अवैध है और इसलिए, अस्थिर।

और अवैध। कानून के उक्त महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया गया है प्रतिवादियों/अपीलार्थियों का पक्ष यह मानते हुए कि मुकदमा द्वारा वर्जित है

सीमा।

परिणामस्वरूप तत्काल दूसरी अपील की अनुमति दी जाती है। निर्णय और नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के आदेशों को अलग कर दिया गया है। द्वारा दायर मुकदमा

प्रतिवादी संख्या 1-वादी को खारिज कर दिया जाता है। पार्टियाँ हैं, हालाँकि, पूरे समय अपनी-अपनी लागतों को वहन करने के लिए छोड़ दिया गया।

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान अपील, विशेष अनुमति द्वारा, मूल वादी मोहिंदर सिंह द्वारा दायर की गई है, जिनकी मृत्यु के दौरान मृत्यु हो गई थी इस न्यायालय के समक्ष अपील की लंबितता और इसके परिणामस्वरूप, उसके उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को कारण का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर लाया गया है। अपीलार्थियों के अनुसार, कब्जा के लिए मुकदमा मोहिंदर सिंह द्वारा घोषणात्मक डिक्री के आधार पर दायर किया गया था जो

1920 के अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 2 (बी) द्वारा प्रदान की गई तीन साल की सीमा अवधि। चूंकि, उक्त अधिनियम की धारा 2 (बी) में निर्धारित किया गया है कि सीमा उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन मुकदमा करने का अधिकार है।

उपार्जित राशि या घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की तारीख, जो भी बाद में हो। वर्तमान मामले में, 14 जनवरी, 1971 को उज्जागर सिंह की मृत्यु के बाद मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त हुआ। हालाँकि, वादी को 1963 के पिछले मुकदमे में पारित डिक्री के निष्पादन को आगे बढ़ाने की सलाह दी गई थी और 2 फरवरी, 1974 को निष्पादन न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद 11 जून, 1974 को वर्तमान मुकदमा दायर करने के लिए प्रेरित किया गया था। फिर भी, चूंकि डिक्री शीट केवल 19 अगस्त, 1972 को तैयार की गई थी, 11 जून, 1974 को दायर किया गया मुकदमा 1920 के अधिनियम के अनुच्छेद 2 (बी) के संदर्भ में सीमा के भीतर था। इस समर्पण को मजबूत करने के लिए लाला बालमुकुंड (मृत) के फैसले पर निर्भरता रखी गई है।

एल. आर. बनाम लाजवंती और Ors.[1], जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिलिपि प्राप्त करने का अर्थ है डिक्री का आहरण। 19 अगस्त, 1972 को इस मामले में ऐसा हुआ और इस कारण से 11 जून, 1974 को दायर किया गया मुकदमा सीमित था। रिलायंस को समकालीन पर रखा गया है

19 अगस्त, 1972 को डिक्री की तैयारी को स्वीकार करते हुए उत्तरदाताओं (प्रतिवादियों) द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष दायर लिखित बयान और अपील ज्ञापन सहित अभिलेख। जिस समय के दौरान मोहिंदर सिंह (वादी) ने निष्पादन की कार्यवाही को ईमानदारी से आगे बढ़ाया था, उस समय को हटाने के लिए रिलायंस को 1963 के अधिनियम की धारा 14 पर भी रखा गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1963 के अधिनियम की धारा 14 न केवल 1963 के अधिनियम की धारा 29 (2) के कारण, बल्कि 1920 के अधिनियम की धारा 5 के कारण भी आकर्षित होगी, जो 1963 के अधिनियम की धारा 4 से 25 को लागू करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है। रिलायंस को समेकित इंजीनियरिंग उद्यम बनाम मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर रखा गया है। प्रधानाचार्य सचिव, सिंचाई विभाग और अन्य। , जिसका उल्लेख किया गया है

कि न्यायालय द्वारा एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जब तक कि धारा 14 के अनुप्रयोग को विशेष कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि हालाँकि वादी द्वारा दायर पहली निष्पादन याचिका

(1975) 1 एस. सी. सी. 725

2 (2008) 7 एस. सी. सी. 169 मोहिंदर सिंह (मृत) एल. आर. के माध्यम से। वी. परमजीत सिंह और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

समय से पहले के रूप में खारिज कर दिया गया था और बाद में फांसी की याचिका को भी 2 फरवरी, 1974 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उचित उपाय

कब्जा के लिए मुकदमा दायर करने के लिए, प्रतिवादियों ने न तो कोई आपत्ति जताई और न ही उक्त आदेशों को चुनौती दी। दूसरी ओर, वादी ने उक्त आदेशों पर कार्रवाई की और अंततः 11 जून, 1974 को कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया। भारत संघ और अन्य मामलों में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। बनाम वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड और Anr.[3], यह प्रस्तुत किया जाता है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष और प्रथम को सराहा गया अपीलीय न्यायालय, वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति में सही दृष्टिकोण है। रुरा सिंह (प्रत्यर्थियों के पूर्ववर्ती) द्वारा 20 अगस्त, 1963 के समझौते के आदेश के माध्यम से मोहिंदर सिंह (अपीलार्थियों के पूर्ववर्ती) को विषय संपत्तियों का कब्जा देने के लिए सहमत होने के बावजूद कोई अन्य दृष्टिकोण रखना प्रत्यर्थियों को बोनस प्रदान करना होगा।

11. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने दो न्यायालयों के समवर्ती निर्णय को न्यायसंगत रूप से उलट दिया है -

1920 अधिनियम और वादी उचित परिश्रम करने में विफल रहे जिसके कारण 19 अगस्त, 1972 से सीमा अवधि की गणना में लाभ नहीं उठाया जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि 1963 के अधिनियम की धारा 14 एक वादी को सीमा की सीमा के खिलाफ संरक्षण देने तक सीमित थी जब वह दीवानी कार्यवाही शुरू करता है, जिसे कुछ तकनीकी दोषों के कारण गुण-दोष के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है और खारिज कर दिया जाता है। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, विशेष रूप से समेकित इंजीनियरिंग उद्यमों के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 21,22 और 31 पर निर्भरता रखी गई है। (ऊपर)। प्रत्यर्थियों के अनुसार, विषय वाद को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था क्योंकि यह 1920 के अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 2 (बी) में निर्दिष्ट सीमा अवधि के भीतर स्थापित नहीं किया गया था और धारा 14 के प्रावधान वादी के लिए कोई लाभ नहीं होंगे। इसके अलावा, कोई स्पष्टीकरण या

वादी द्वारा इस अवधि के लिए जो भी औचित्य प्रस्तुत किया गया है

3 (2004) 3 एससीसी 458 [2018] 7 एस. सी. आर.

2 फरवरी, 1974 (जब तीसरी फांसी की याचिका खारिज कर दी गई थी) और 11 जून, 1974 (जब वादी द्वारा कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया गया था) के बीच। 1963 के अधिनियम की धारा 14 को लागू करके किसी भी तरह की लापरवाही दिखाने का सवाल ही नहीं उठता है। प्रतिवादी इस अपील को खारिज करने और उनके द्वारा दायर दूसरी अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि के लिए प्रार्थना करते हैं।

12. हमने अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री महाबीर सिंह और विद्वान वकील श्री मनोज स्वरूप को सुना है।

उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित होना।

13. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मुकदमे के सीमित होने के मुद्दे का जवाब विशेष कानून के संदर्भ में देना होगा।

अर्थात् 1920 का अधिनियम। उक्त अधिनियम को पैतृक अचल संपत्ति के अलगाव और उत्तराधिकारियों की नियुक्तियों से संबंधित मुकदमों की सीमा को नियंत्रित करने वाले कानून को संशोधित और समेकित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

उस क्षेत्र में प्रथा जिस पर अधिनियम लागू होगा। 1920 के अधिनियम की धारा 8 में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति यह घोषणा करते हुए डिक्री प्राप्त करता है कि पैतृक अचल संपत्ति का अलगाव या उत्तराधिकारी की नियुक्ति उस पर प्रथा के अनुसार बाध्यकारी नहीं है, तो डिक्री उन सभी व्यक्तियों के लाभ के लिए सुनिश्चित करेगी जो अलगाव या नियुक्ति के लिए महाभियोग का हकदार हैं। इस तरह के घोषणात्मक मुकदमे के लिए, अनुसूची में सीमा प्रदान की गई है। अनुसूची के अनुच्छेद 2 में यह भी परिकल्पना की गई है कि पैतृक अचल संपत्ति के कब्जे के लिए एक मुकदमे के लिए सीमा की अवधि जो इस आधार पर अलगाव किया गया है कि अलगाव वादी पर प्रथा के अनुसार बाध्यकारी नहीं है, अन्य बातों के साथ-साथ, घोषणात्मक डिक्री प्राप्त होने की तारीख से तीन साल के भीतर। 1920 के अधिनियम की धारा 8 इस प्रकार हैः

" 8. घोषणात्मक डिक्री का लाभ। - जब कोई व्यक्ति यह घोषणा करते हुए डिक्री प्राप्त करता है कि पैतृक अचल संपत्ति का अलगाव या उत्तराधिकारी की नियुक्ति उस पर प्रथा के अनुसार बाध्यकारी नहीं है, तो डिक्री सभी के लाभ के लिए सुनिश्चित करेगी।

अलगाव या उत्तराधिकारी की नियुक्ति पर महाभियोग चलाने के हकदार व्यक्ति। अनुसूची का अनुच्छेद 2 इस प्रकार हैः

मोहिंदर सिंह (मृत) एल. आर. के माध्यम से। वी. परमजीत सिंह और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अनुसूची

सूट का विवरण

की अवधि

समय

से

सीमा

कौन सी अवधि

दौड़ना शुरू करें

1 . XXX

2 .

के कब्जे के लिए एक मुकदमा

पैतृक अचल संपत्ति

जिसे अलग कर दिया गया है

इस आधार पर कि अलगाव

वादी पर बाध्यकारी नहीं है

प्रथा के अनुसार

((क) यदि

कोई घोषणा नहीं

जैसा कि ऊपर बताया

गया है

6 वर्षों

प्रकृति का आदेश

अनुच्छेद 1 में उल्लिखित

प्राप्त किया जाता है

(ख) यदि ऐसी घोषणात्मक

वह तिथि जिस पर

3 वर्षों

फरमान प्राप्त किया जाता है

उपार्जित राशि पर

मुकदमा करने का अधिकार या

जिस तारीख को

घोषणात्मक फरमान

है

प्राप्त किया गया, जो

भी हो

बाद में।

3 .

XXX XXX XXX

4 .

XXX XXX XXX

5 .

XXX XXX XXX

6. XXX XXX XXX

आदेश के अनुसार, अधिकार के लिए मुकदमा करने का अधिकार केवल 14 जनवरी, 1971 को हुई उज्जागर सिंह की मृत्यु तक अर्जित नहीं हुआ होगा। अपीलार्थी अनुच्छेद 2 (बी) के पहले भाग का आह्वान नहीं कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि जिस समय से अवधि शुरू होगी, वह तारीख होगी जिस दिन मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होगा। पहला, क्योंकि घोषणात्मक डिक्री 20.8.1963 पर पारित की गई थी; दूसरा, क्योंकि यह एक सशर्त डिक्री थी और थीउज्जागर सिंह के जीवनकाल के दौरान अप्रवर्तनीय; तीसरा, क्योंकि उज्जागर [2018] 7 एस. सी. आर.

सिंह की मृत्यु 14 जनवरी, 1971 को हुई थी, लेकिन 2 फरवरी, 1974 के अपने आदेश में निष्पादन न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के कारण 11 जून, 1974 को नया मुकदमा दायर किया गया था। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी इस पर भरोसा कर रहे हैं कि अनुच्छेद 2 (बी) का दूसरा भाग, जो यह अभिनिर्धारित करता है कि जिस अवधि से कब्जे के लिए मुकदमा दायर करना शुरू होगा, वह तारीख होगी जिस पर "घोषणात्मक डिक्री प्राप्त की जाएगी"।

15. वादी के दावे का आधार उस तारीख के तथ्य पर आधारित होता है जिस दिन समझौते के संबंध में डिक्री शीट होती है।

19 अगस्त, 1972 को डिक्री तैयार की गई और तैयार की गई। "घोषणात्मक डिक्री प्राप्त की जाती है" अभिव्यक्ति डिक्री के ड्राइंग या तैयारी की घटना को अपने तह में ले जाएगी। विशेष रूप से, निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने वादी द्वारा लिए गए इस रुख को स्वीकार कर लिया है कि समझौता डिक्री 19 अगस्त, 1972 को तैयार या तैयार की गई थी। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी उस निष्कर्ष को उलट नहीं दिया है। तथापि, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि 19 अगस्त, 1972 को एक औपचारिक आदेश जारी करने का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि यह 20 अगस्त, 1963 को पारित समझौते के आदेश से संबंधित होगा। इससे अधिकार के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा अवधि नहीं बचेगी। जबकि, इस तरह का मुकदमा दायर करने का कारण 14 जनवरी, 1971 को उज्जागर सिंह की मृत्यु पर सामने आया था, लेकिन मुकदमा 11 जून, 1974 को तीन साल की सीमा अवधि समाप्त होने के बाद दायर किया गया था।

16. इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान मामले में विवादास्पद प्रश्न "घोषणात्मक डिक्री प्राप्त की जाती है" अभिव्यक्ति का अर्थ है। करता है?

इसका अर्थ है निर्णय की घोषणा की तारीख अर्थात 20 अगस्त, 1963 या डिक्री शीट तैयार करने की तारीख अर्थात 19 अगस्त, 1972? "" "" ""

वी. परमजीत सिंह और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

लेकिन इस तरह के घोषणात्मक निर्णय के आधार पर एक डिक्री तैयार की जानी चाहिए। जिसे बाद में निष्पादित किया जाता है। उसी सादृश्य को लागू करते हुए, यदि कब्जे के लिए एक मुकदमा एक घोषणात्मक डिक्री पर आधारित है तो यह केवल आगे बढ़ सकता है।

दीवानी न्यायालय के घोषणात्मक निर्णय के आधार पर तैयार की गई डिक्री के बाद डिक्री धारक द्वारा तैयार और प्राप्त की जाती है। 17. इसलिए, "घोषणात्मक डिक्री प्राप्त की जाती है" अभिव्यक्ति का महत्व है। यदि विधायिका इसे अलग तरीके से प्रदान करने का इरादा रखती है,

यह प्रावधान को "वह तिथि जिस पर घोषणात्मक निर्णय पारित किया जाता है" के रूप में जोड़ सकता था। हालाँकि, 1920 के अधिनियम को लागू करने में विधायिका ने जानबूझकर "घोषणात्मक डिक्री प्राप्त की जाती है" अभिव्यक्ति का उपयोग किया। जिसमें आंतरिक रूप से वह तारीख शामिल है जिस पर एक औपचारिक डिक्री तैयार की जाती है या तैयार की जाती है, न कि केवल वह तारीख जिस पर न्यायालय द्वारा एक घोषणात्मक निर्णय पारित किया जाता है। किसी भी अन्य दृष्टिकोण को लेना "घोषणात्मक डिक्री प्राप्त की जाती है" अभिव्यक्ति को फिर से लिखना और विधायी इरादे के लिए हिंसा करना होगा। इसके अलावा, अनुच्छेद 2 (बी) में "प्राप्त" अभिव्यक्ति को अभिव्यक्ति "है" से जोड़ दिया गया है; और आगे यह अभिव्यक्ति के साथ आगे बढ़ता है।

" जो भी बाद में हो "। यहां तक कि यह इस स्थिति को मजबूत करेगा कि जिस तारीख को घोषणात्मक डिक्री तैयार की जाती है, वह अवधि को प्रज्वलित कर सकती है

कब्जा के लिए मुकदमा शुरू करने के लिए सीमा, न कि पिछले मुकदमे में न्यायालय द्वारा दिया गया केवल घोषणात्मक निर्णय (घोषणा सरलीकरण के लिए)। किसी भी अन्य दृष्टिकोण को लेने से अनुच्छेद 2 (बी) के अंतिम भाग को "जो भी बाद में हो" के लिए निरर्थक और अनुचित बना दिया जाएगा।

18. अपीलकर्ताओं ने लाला बालमुकुंड (उपर्युक्त) के मामले में (विशेष रूप से पैराग्राफ 20 और 21 में) स्पष्टीकरण पर न्यायसंगत रूप से भरोसा किया है, जिसमें डिक्री प्राप्त करने की तारीख के संबंध में समान मुद्दे का जवाब दिया गया है और

"एक प्रति प्राप्त करना" शब्द की व्याख्या करते हुए, यह माना गया है कि डिक्री तैयार होने के बाद ही समय शुरू होगा। पैराग्राफ 19 में उस उक्ति को दोहराना उचित है, जो इस प्रकार हैः

" 19. हम इस निर्णय को सभी उद्धरणों और एक या दूसरे दृष्टिकोण के समर्थन में उसमें दिए गए तर्क की विस्तृत चर्चा के साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं। यह कहना पर्याप्त होगा कि धारा 12 (2) की भाषा पर दोनों निर्माण संभव हैं, लेकिन अधिकांश न्यायालयों द्वारा अपनाया गया निर्माण न्याय और समझदारी के साथ अधिक सुसंगत प्रतीत होता है। सीमा

अधिनियम पीड़ित व्यक्ति के अधिकार को वंचित या प्रतिबंधित करता है।

कानूनी उपचार का सहारा लेना, और जहाँ इसकी भाषा [2018] 7 एस. सी. आर.

एक अदालत को एक क़ानून पर एक व्याख्या से बचना चाहिए निहितार्थ या अनुमान द्वारा सीमा, जैसा कि हो सकता है

दंडात्मक प्रभाव जब तक कि यह ऐसा करने के लिए प्रेरित न हो

द्वारा नियोजित भाषा की अप्रतिरोध्य शक्ति

विधायिका "।

(जोर दिया गया)

19. डब्ल्यू. बी. एसेंशियल में स्पष्टीकरण का विज्ञापन करना उपयोगी हो सकता है।

जिंस आपूर्ति निगम। बनाम स्वदेश एग्रो फार्मिंग एंड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और Anr.4। वास्तव में, उस मामले में जिस तथ्यात्मक विवरण पर प्रश्न की जांच की गई थी, वह कुछ अलग था, अर्थात्, क्या 1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 136 के तहत सीमा की अवधि डिक्री की तारीख से शुरू होगी या उस तारीख से जब डिक्री वास्तव में न्यायाधीश द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित की जाएगी, जैसा कि निर्णय के पैराग्राफ 2 में स्पष्ट किया गया है। निर्णय के पैरा 12 में इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

“ 12. हालाँकि, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें एक डिक्री यह पारित होने की तारीख को लागू करने योग्य नहीं हो सकता है। सबसे पहले ए.

मामला जहाँ एक डिक्री निष्पादन योग्य नहीं है जब तक कि हो रहा है

एक दी गई आकस्मिकता का, उदाहरण के लिए, जब एक डिक्री के लिए

अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली का निर्देश है कि

इसे तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि खड़ी फसल की कटाई नहीं हो जाती। ऐसी स्थिति में कटाई होने तक समय नहीं चलेगा।

फसल और डिक्री उस से प्रवर्तनीय हो जाती है तारीख और निर्णय/डिक्री की तारीख से नहीं। लेकिन

जहाँ पूर्ति पर कोई बाहरी घटना नहीं होनी है जिसमें से केवल डिक्री को निष्पादित किया जा सकता है, यह एक नहीं है

सशर्त डिक्री और बहुत से निष्पादन करने में सक्षम है जिस तारीख को यह पारित हुआ (यशवंत देवराव बनाम। वालचंद

रामचंद 5)। दूसरा, जब इसके लिए एक विधायी बार है

एक डिक्री का निष्पादन तब प्रवर्तनीयता शुरू होगी जब

बार बंद हो जाता है। तीसरा, अचल के विभाजन के लिए एक सूट में

प्रारंभिक डिक्री पारित होने के बाद जब अंतिम रूप से

डिक्री कार्यवाही, एक आदेश अदालत द्वारा पारित किया जाता है मुक़दमे की संपत्तियों में पक्षों के अधिकारों की घोषणा करते हुए, यह

निष्पादन योग्य नहीं है जब तक कि अंतिम डिक्री गैर पर तल्लीन है

4 (1999) 8 एस. सी. सी. 325

5 एयर 1951 एससी 16 मोहिंदर सिंह (मृत) एलआर के माध्यम से। वी. परमजीत सिंह और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

समय के भीतर पक्षों द्वारा आपूर्ति किया गया न्यायिक स्टाम्प पेपर

न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट और उसी पर न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और सील कर दिया। यह इस संदर्भ में है कि टिप्पणियाँ

इस न्यायालय ने शंकर बलवंत लोखंडे बनाम. चंद्रकांत

शंकर लोखंडे को समझना होगा। ये अवलोकन एक धन डिक्री पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए,

अपीलार्थी उनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।

(जोर दिया गया)

20. जैसा कि वर्तमान मामले में, भले ही घोषणात्मक निर्णय

न्यायालय द्वारा 20 अगस्त, 1963 को मोहिंदर सिंह (मूल वादी) और रूरा सिंह (मूल प्रतिवादी) द्वारा किए गए समझौते के आधार पर पिछले मुकदमे में यह घोषणा की गई थी कि यह घोषणा उज्जागर सिंह की मृत्यु के बाद ही प्रभावी हो सकती है। पारित डिक्री उसके बाद ही लागू की जा सकती थी। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि

19 अगस्त, 1972 को डिक्री शीट तैयार की गई थी और उसके बाद तीन साल बाद 11 जून, 1974 को कब्जा करने के लिए मुकदमा दायर किया गया था, इस प्रकार 1920 के अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 2 (बी) के संदर्भ में सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर था।

21. तर्क के लिए यह मानते हुए कि तीन साल की अवधि

भारत संघ और अन्य के मामले में चित्रित किया गया है। बनाम वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड (ऊपर)। न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या वाद को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था, इस प्रश्न की जांच की कि क्या 1963 अधिनियम की धारा 14 उस मामले में लागू थी। पैराग्राफ 14 में सी. एस. टी. बनाम पार्सन टूल्स एंड प्लांट्स 7 में निर्णय का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 14. श्री मल्होत्रा के निवेदन में, सी. एस. टी. पर निर्भरता रखते हुए

वी. अनुभाग की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए पार्सन उपकरण और पौधे

14 सीमा अधिनियम की निम्नलिखित आवश्यकताएँ होनी चाहिए -

निर्दिष्ट किया गयाः (एस. सी. सी. पी. 25, पैरा 6)

1 6. (1) पूर्व और बाद की कार्यवाही दोनों दीवानी हैं।

एक ही पक्ष द्वारा मुकदमा चलाया गया;

6 (1995) 3 एस. सी. सी. 413 7 (1975) 4 एससीसी 22

8 (1975) 4 एससीसी 22: 1975 एससीसी (कर) 185 [2018] 7 एस. सी. आर.

(2) पूर्व कार्यवाही पर उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चलाया गया था

और अच्छे विश्वास में; (3) पूर्व कार्यवाहियों की विफलता एक दोष के कारण थी

अधिकारिता या समान प्रकृति का अन्य मामला;

(4) दोनों कार्यवाहियाँ न्यायालय में कार्यवाहियाँ हैं।

विद्वान वरिष्ठ वकील के प्रस्तुत करने में, सिविल रिट दाखिल करना

धन राहत का दावा करने वाली याचिका को कार्यवाही नहीं कहा जा सकता है।

सद्भावना में स्थापित और दूसरा, पर रिट याचिका को खारिज करना

इस आधार पर कि यह पैसे मांगने के लिए एक उचित उपाय नहीं था

राहत को 'अधिकार क्षेत्र का दोष या अन्य कारण' नहीं कहा जा सकता है

सीमा की धारा 14 के अर्थ के भीतर एक समान प्रकृति

एक्ट करें। यह सच है कि रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया था

अधिकारिता के दोष के आधार पर न्यायालय। हालांकि, अनुभाग

14 सीमा अधिनियम के अनुप्रयोग में व्यापक है, इतना

क्योंकि यह केवल दोष के मामलों में इसकी प्रयोज्यता तक सीमित नहीं है

अधिकारिता का लेकिन यह उन मामलों पर भी लागू होता है जहाँ

अन्य कारणों से पूर्व कार्यवाही विफल हो गई है

प्रकृति की तरह। अभिव्यक्ति 'समान प्रकृति का अन्य कारण'

रोशनलाल में इस अदालत के विचार के लिए आया था

और एक उदार स्पर्श की व्याख्या को सूचित करना चाहिए सीमा अधिनियम जो उस व्यक्ति के उपचार से वंचित करता है जिसके पास है

सही "।

(जोर दिया गया)

22. अतः अधिनियम की धारा 14 का विस्तार सीमित नहीं है।

न्यायक्षेत्र संबंधी मुद्दा लेकिन समान प्रकृति के अन्य कारण भी। लेना।

इस निर्णय में, अपीलार्थी का तर्क होगा कि वादी20 अगस्त को समझौते का फैसला सुनाए जाने के बाद,

23 दिसंबर को निष्पादन याचिका No.433/1964 का सहारा लिया,

लेकिन उसी को 7 अगस्त को निष्पादन न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था,

) 4 एस. सी. सी. 628 मोहिंदर सिंह (मृत) एल. आर. के माध्यम से। वी. परमजीत सिंह और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

1965 , अपरिपक्व होने के रूप में। वादी वास्तव में मानता था कि फांसी

पिछले मुकदमे में पारित डिक्री के परिणामस्वरूप उज्जागर सिंह की मृत्यु के बाद भी संपत्ति पर कब्जा हो जाएगा। नतीजतन, 14 जनवरी, 1971 को उज्जागर सिंह की मृत्यु के बाद, वादी ने 18 फरवरी, 1971 को दूसरी फांसी की याचिका दायर की और उन कार्यवाही में एक डिक्री शीट के साथ फाइल को बुलाने के लिए एक आवेदन दायर किया। यह पता चला कि डिक्री तैयार की गई थी और डिक्री शीट बनाई गई थी

19 अगस्त, 1972 को तैयार किया गया, लेकिन उक्त निष्पादन याचिका 2 फरवरी, 1973 को चूक के लिए खारिज कर दी गई। इस कारण से, उसी दिन अपीलार्थी ने तीसरी निष्पादन याचिका यानी 2 फरवरी, 1973 को दायर की, जिसे हालाँकि 2 फरवरी, 1974 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वादी के लिए वाद संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का उपाय घोषणात्मक डिक्री के आधार पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर करना था। इसके बाद ही वादी ने 11 जून, 1974 को दायर सिविल सूट No.173/1974 विषय मुकदमे का सहारा लिया।

23. विशेष रूप से, प्रत्यर्थियों ने निष्पादन न्यायालय के फैसलों पर सवाल नहीं उठाया-चाहे वह इस आधार पर हो कि यह समयपूर्व था या

इस आधार पर कि वादी के लिए उपाय कब्जे के लिए मुकदमा दायर करना था। निर्विवाद रूप से, वादी द्वारा निष्पादन याचिका जैसी कार्यवाही एक दीवानी कार्यवाही होगी। इसके अलावा, निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने पाया है कि वादी सद्भावना से उस उपाय का अनुसरण कर रहा था। उस निष्कर्ष को उच्च न्यायालय ने बाधित नहीं किया है। जिन कारणों के लिए निष्पादन न्यायालय ने विचार किया

निष्पादन याचिकाओं को खारिज करना केवल "अधिकार क्षेत्र का दोष" और किसी भी मामले में, "समान प्रकृति का अन्य कारण" अभिव्यक्ति द्वारा कवर किए गए कारण थे, जिसे निष्पादन न्यायालय द्वारा वादी को वाद संपत्ति के कब्जे से राहत देने में असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति निश्चित रूप से धारा 14 में निर्दिष्ट परीक्षणों को संतुष्ट करेगी।

11 जून, 1974 को कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के लिए सीमा की अवधि की गणना करना। प्रत्यर्थियों का यह तर्क कि वादी ने 2 फरवरी, 1974 से 11 जून, 1974 तक की अवधि के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। वह अवधि केवल चार महीने की है और एक बार 14 जनवरी, 1971 से 2 फरवरी, 1974 तक की अवधि थी। वादी द्वारा सद्भावना से अन्य दीवानी कार्यवाही को आगे बढ़ाने में बिताए गए समय के रूप में बाहर रखे जाने पर, मुकदमा दायर करने में कोई देरी नहीं होगी।

18] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1963 के अधिनियम की धारा 14 द्वारा जो कहा गया है, वह अधिकार क्षेत्र या समान प्रकृति के अन्य कारणों के बिना न्यायालय में प्रामाणिक रूप से कार्यवाही करने के समय का बहिष्कार है, जिसके लिए संबंधित न्यायालय याचिका पर विचार करने में असमर्थ है। तथ्य यह है कि इस अवधि के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है

2 फरवरी, 1974 से 11 जून, 1974 तक, इसलिए, घोषणात्मक डिक्री के आधार पर विषय भूमि के कब्जे के लिए मुकदमा स्थापित करने और आगे बढ़ाने के वादी के अधिकारों को कम नहीं करेगा।

24. यह हमें अंतिम प्रश्न पर ले जाता है कि क्या 1963 के अधिनियम की धारा 14 का इस मामले में कोई अनुप्रयोग है। इस मुद्दे की जरूरत है। हमें हिरासत में न लें। 1920 के अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट है और यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित करता है कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट वाद धारा 4 से 25 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

(सीमा अधिनियम सहित)। 1920 के अधिनियम की धारा 5 इस प्रकार हैः

" 5. में निर्दिष्ट विवरणों के मुकदमों को खारिज करना

अधिनियम यदि उसमें सीमा की अवधि के बाद स्थापित किया गया है

भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 4 से 25 (समावेशी) और उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निहित इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, निर्दिष्ट किसी भी विवरण का प्रत्येक वाद। इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में, जो अनुसूची में इसके लिए निर्धारित सीमा की अवधि के बाद स्थापित की गई है, उसे खारिज कर दिया जाएगा।

हालांकि सीमा को रक्षा के रूप में स्थापित नहीं किया गया है।

25. 1963 के अधिनियम की धारा 29 (2) का विज्ञापन करना भी उचित हो सकता है, जो इस प्रकार हैः

" 29. बचत। - (1) XXX

(2) जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए उस अवधि से अलग सीमा की अवधि निर्धारित करता है। अनुसूची द्वारा विहित, धारा 3 के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि निर्धारित करने के उद्देश्य से, धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधान केवल उस हद तक लागू होंगे जहां तक वे स्पष्ट रूप से लागू नहीं होते हैं।

इस तरह के विशेष या स्थानीय कानून द्वारा बहिष्कृत।

(3) XXX

(4) XXX。”

मोहिंदर सिंह (मृत) एल. आर. के माध्यम से। वी. परमजीत सिंह और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

26. हम अपीलार्थियों के प्रस्तुत करने में बल पाते हैं कि 1920 के अधिनियम की धारा 5 और 1920 के अधिनियम की धारा 29 (2) के आलोक में 1963 के अधिनियम की धारा 14 वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति में आकर्षित होगी।

1963 इस तथ्य के साथ कि 1920 के अधिनियम में 1963 के अधिनियम की धारा 14 के अनुप्रयोग को बाहर करने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाता है और उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। धारा 16 के प्रावधानों और इसके आवेदन पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि एक उचित दृष्टिकोण इसे अपनाना होगा और प्रावधानों की व्याख्या करनी होगी ताकि कार्यवाही को निरस्त करने के बजाय कार्रवाई के कारण को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि इस धारा का उद्देश्य गलत उपचार या गलत मंच के चयन के मामलों में सीमा के प्रतिबंध के खिलाफ राहत प्रदान करना है।

28. इस निर्णय पर आगे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही यह कहा जा चुका है कि विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय दोनों ने

मूल वादी (अपीलार्थियों के पूर्ववर्ती) के पक्ष में मुकदमे को सीमित करने के संबंध में आपत्ति को अस्वीकार करके मुकदमा करने का अधिकार। उच्च न्यायालय ने केवल निचली अदालत और प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसलों को पलटने में स्पष्ट त्रुटि की। इस आधार पर कि 20 अगस्त, 1963 के समझौता निर्णय के आधार पर 19 अगस्त, 1972 को तैयार की गई औपचारिक डिक्री निर्णय की तारीख यानी 20 अगस्त, 1963 से संबंधित होनी चाहिए और 19 अगस्त, 1972 को डिक्री तैयार होने तक सीमा अवधि को रोक नहीं पाएगी।

29. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश और डिक्री को दरकिनार कर देते हैं और इसके बजाय, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को पुनर्स्थापित करें।

30. तदनुसार, इस अपील की अनुमति लागत के रूप में बिना किसी आदेश के दी जाती है।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे